UPSI010111662023

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफ०टी०सी०(ओ०ए०डब्लू०), सीतापुर।
सत्र परीक्षण संख्या–01/2024

सरकार बनाम गुड्डू।

मु०अ०संख्या–227/2023
धारा–366, 376, 342, 116 भा०दं०सं०
थाना– रामकोट, जिला– सीतापुर।

आरोप

मैं सुरेन्द्र प्रताप यादव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफ०टी०सी० (ओ०ए०डब्लू०) सीतापुर एतद्द्वारा आप **अभियुक्त गुड्डू** को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ–

1. यह कि दिनांक 03.05.2023, समय 18.00 बजे, स्थान बहद ग्राम दयालपुर मजरा विक्टोरिया ग्रन्ट, थाना रामकोट, जिला सीतापुर में आपने वादी की पुत्री गाँव के पूरब जब शौच के लिये गयी थी, को बहला फुसलाकर उसकी सम्मति के बिना व्यपहृत किया गया। इस प्रकार आपने धारा 366 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने पीड़िता को लखनऊ ले जाकर उसकी मर्जी के बगैर बलात्संग की घटना कारित की गयी। इस प्रकार आपने ऐसा कृत्य कारित किया जो कि धारा 376 भा०दं०सं० के अधीन दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप द्वारा पीड़िता को लखनऊ में अपनी भाभी के कमरे पर ले जाकर सदोष परिरोध में रखा गया। इस प्रकार आपने धारा 342 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रंसज्ञान में है।

4. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने पीड़िता को जहर की पुड़िया दी तथा पीड़िता को जहर खाने के लिये उकसाया गया। इस प्रकार आपने धारा 116 भा०दं०सं० के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध किया है जो इस न्यायालय के प्रंसज्ञान में है।

और मैं एतद्द्वारा यह निर्देश देता हूँ कि उक्त आरोपों में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

दिनांक–11.01.2024

(सुरेन्द्र प्रताप यादव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
एफ०टी०सी०(ओ०ए०डब्लू०), सीतापुर।
J O Code: UP1668

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की माँग की।

दिनांक–11.01.2024

(सुरेन्द्र प्रताप यादव)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
एफ०टी०सी०(ओ०ए०डब्लू०), सीतापुर।
J O Code: UP1668

Digitally signed by SURENDRA PRATAP YADAV
Date: 2024.01.11 17:43:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Sitapur